बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- नयी पेंशन योजना से आच्छादित राज्य कर्मियों को मृत्यु-सह सेवानिवृति उपदान का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-7/5/2012-P&PW(F)/B, दिनांक-26.08.2016 द्वारा नयी पेंशन योजना से आच्छादित केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक-01.01.2004 के प्रभाव से मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ प्रदान किया गया है ।

2. राज्य में दिनांक-01.09.2005 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मियों हेतु नयी पेंशन योजना लागू है । केंद्रीय कर्मियो के अनुरूप नयी पेंशन योजना से आच्छादित राज्यकर्मियों को भी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान का लाभ प्रदान करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक-01.09.2005 या इसके पश्चात नियुक्त सभी राज्य कर्मी जो नयी पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को भी पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों के अनुरूप मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपदान का लाभ अनुमान्य होगा ।

4. बिहार पेंशन नियमावली एवं एतद् संबंधी निर्गत पूर्व के राज्यादेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

5. यह संकल्प दिनांक-01.09.2005 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांकः वि0 (27)पे0को0-67/2016 पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः महालेखाकार बिहार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।

...2

ज्ञापांकः वि0 (27)पे0को0-67/2016 पटना, दिनांकः

प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांकः वि0 (27)पे0को0-67/2017 622 पटना, दिनांकः 28-8-17

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी,ई-गजट, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय) ।

M.B
28-8-17